सं0-163जेएल/22-3-26-ई-2037591

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02-06-2026

विषय- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध कतिपय 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-19999/सामा-1(5)/209/बन्दी स्था0/2026, दिनांक-18.05.2026 एवं संख्या-6658/सामा-1(5)/209/बन्दी स्था0/2026, दिनांक-20.02.2026 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित विचाराधीन बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागारों में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम जहां स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4
1	विचाराधीन बन्दी मोनू राठी पुत्र श्री तेज सिंह	जिला कारागार, मेरठ।	जिला कारागार, गोरखपुर।
2	विचाराधीन बन्दी बादल चौधरी पुत्र श्री धर्मेन्द्र चौधरी		जिला कारागार, संतकबीरनगर।
3	विचाराधीन बन्दी सन्नी उर्फ नासिर पुत्र श्री नवाब		जिला कारागार, गोण्डा।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/गोरखपुर/संतकबीरनगर/गोण्डा।

5- पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ/ गोरखपुर/ संतकबीरनगर/ गोण्डा।

6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार मेरठ/गोरखपुर/संतकबीरनगर/गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को उक्त तालिका के कालम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना अनुभाग के ई-मेल के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।